1700 लघु उद्योग लगेंगे, मिलेगा रोजगार

उद्यमियों को मिलेगा अनुदान, 21 से 40 वर्ष के आठवीं पास बेरोजगार कर सकेंगे आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। जिले में 1700 लघु उद्योग इकाइयों को लगाने की पहल शुरु की गई है। इसके लिए उद्योग विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है। विभाग की तरफ से लघु उद्योग लगाने वालों को मदद की जाएगी। लघु उद्योग लगने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही जिले के विकास को गति मिलेगी।

जिले में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम को गति प्रदान करने के लिए शासन ने पहल की है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 1700 लघु उद्योगों को लगाने की योजना है।

औद्योगिक क्षेत्र की फोटो

उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि योजना के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष व शैक्षिक योग्यता कक्षा-आठ पास होनी चाहिए है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदक सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण योजनाओं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केंद्र सरकार की ओर से संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।

उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत लाभ के लिए इस योजना में पांच लाख तक चार वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी देय होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।